न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 18 / 2021
सत्यपाल चौहान पुत्र भोलाराम चौहान, निवासी वार्ड नं0 22, गंगा कालोनी, विघा विहार पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राज0।

–– अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (एस0डी0एम0), सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

अपील अ0धारा 17 बी राजस्थान नगर पालिका रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरस आर्डर 1974 अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15.01.2021 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) सूरजगढ बाबत जुडवाये जाने नाम वार्ड नं0 22, नगर पालिका विघा विहार पिलानी।

उपस्थित

1. श्री विरेन्द्र कुमार सीगड, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 17.02.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) सूरजगढ के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट ने अपना नाम नगर पालिका विघा विहार पिलानी के वार्ड सं0 22 की निर्वाचक नामावली मे जोडे जाने हेतु निवेदन रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन किया। अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को रेस्पोडेन्ट ने अस्वीकार कर दिया इस कारण यह अपील इस प्रकार पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय विरूद्व कानून है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का मकान वार्ड नं0 22 मे है तथा पूर्व मे भी वार्ड सं0 14 की मतदाता सूची मे जो नाम जुडे है वो परिसीमन 2005 के आधार पर ही जोडे गये थे वो ही परिसीमन आज तक चला आ रहा है और अपीलान्ट का नाम नगर पालिका निर्वाचक नामावली मे वार्ड नं0 22 मे दर्ज करवाना है परन्तु अदालत मातहत ने पटवारी व अधिशाषी अधिकारी की गलत व मनगढंत रिपोर्ट पर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश

का निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अपीलान्ट्स का नाम वार्ड सं0 22 मे नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली मे जोडे जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का मकान वार्ड नं0 22 मे है तथा पूर्व मे भी वार्ड सं0 14 की मतदाता सूची मे जो नाम जुडे है वो परिसीमन 2005 के आधार पर ही जोडे गये थे वो ही परिसीमन आज तक चला आ रहा है और अपीलान्ट का नाम नगर पालिका निर्वाचक नामावली मे वार्ड नं0 22 मे दर्ज करवाना है परन्तु अदालत मातहत ने पटवारी व अधिशाषी अधिकारी की गलत व मनगढंत रिपोर्ट पर आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अपीलान्ट का नाम वार्ड सं0 22 मे नगर पालिका विघा विहार पिलानी की निर्वाचक नामावली मे जोडे जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा निर्वाचन नियमों के तहत उक्त अपील नियमानुसार अदालत मातहत के आदेश के विरूद्व 15 दिवस मे इस न्यायालय मे करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 15.01.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्टस के नाम निर्वाचन नामावली में जोड़े जाने के आवेदन को अस्वीकार किया है। उक्त के संबंध में अपीलान्टस का कथन है कि वह वार्ड नम्बर 22 पिलानी के स्थाई निवासी है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों में अपीलान्ट के पता पिलानी दर्ज है। बी.एल.ओ. द्वारा अपीलान्ट का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की अभिशंषा की है तथा अदालत मातहत ने अपीलान्ट का आवेदन इस तर्क के साथ अस्वीकार किया है कि अपीलान्ट का पूरक सूची 1 मे अपीलान्ट का नाम काटा गया है। अदालत मातहत ने बी.एल.ओ. की अभिशंषा के बावजूद अपीलान्ट का आवेदन अस्वीकार किया है, जिससे साफ है कि अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के निवासी होने की पूर्ण जांच नहीं की है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a Ward shall be given, after the last date for making nominations for an election in that ward and before the completion of that election. उक्त निर्देशों के परिपेक्ष में वर्तमान में निर्वाचन नामावली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परन्तु न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण उसकी पूर्ण जांच के बाद किया जाना न्यायोचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है अदालत मातहत अपीलान्टस के निवासी होने की पुनः जांच करें तथा अपीलान्टस को सुनवाई का सुमचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू